"समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना" एवं खलिहान अग्निकांड दुघर्टना बीमा योजना

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित कृषकों के दावों का जिलाधिकारी के माध्यम से संचालन,निस्तारण एवं स्वीकृति।

दावा निपटान (निष्पादन/निस्तारण) हेतु प्रकिया

1– अग्नि दुर्घटना की सूचना हेतु प्रभावित कृषक/उत्पादक निर्धारित प्रारूप (निःशुल्क प्रार्थना पत्र जो मण्डी समिति कार्यालय में उपलब्ध है) पर घटना के अधिकतम 7 दिनांक के अन्दर सचिव/सभापति मण्डी समिति को प्रस्तुत करनरा आवश्यक है। प्रारूप संलग्न है।

2– प्राप्त दावों की जांच मण्डी समिति के सचिव द्वारा कराया जायेगा,तथा अपनी जांच कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करके अपनी अन्तिम आख्या सभापति मण्डी समिति को अनिवार्यतः निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जायेगा। जैसा कि दावा प्रपत्र के अन्त में दिया गया है।

3– मण्डी समिति कार्यालय द्वारा दावा का विधिवत परीक्षणोपरान्त उसके भुगतान सम्बन्धी कार्यावाही सभापति के माध्यम से जिलाधिकारी का अनुमोदन लेकर किया जावेगा।जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन के पूर्व दावों की जांच कराई जावेगी तथा भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया पूरी करके लाभार्थी को भुगतान रेखांकित चेक द्वारा स्वविवेकानुसार सचिव मण्डी समिति या राजस्व विभाग के माध्यम से किया जावेगा।

4– उपरोक्त समस्त कार्यवाही यथासम्भव एक माह में पूर्ण कर ली जावेगी एवं आवश्यकतानुसार,उक्त समयावधि जिलाधिकारी,द्वारा विशेष परिस्थितियों में बढाई जा सकती है।

5– दावों के भुगतान हेतु मण्डी परिषद द्वारा अग्रिम धनराशि जिलाधिकारी को चेक/बैंक ड्राफ्ट से दिया जावेगा।

जिलाधिकारी प्रश्नगत धनराशि बैंक में इस हेतु अलग से खाता खोलकर जमा कराऐगें। तथा प्रतिमाह प्राप्त एवं व्यय की गई धनराशि की सूचना निदेशक मण्डी परिषद को देगें।

विविध शर्ते व नियम

1– योजना के अर्न्तगत क्षतिपूर्ति हेतु दावा स्वीकार करने के लिए पात्रता की आयु सीमा केवल 18 से 60 वर्ष के मध्य ही होगी।

2– यह योजना केवल, उ0प्र0 के निवासियों (कृषक) खेतिहर या मण्डी मजदूरों पर ही लागू होगी। यह ध्यान देने की बात है कि दुर्धटना केवल उ0प्र0 भौगोलिक सीमा में ही घटित हुई हो, परन्तु यदि किसी दूसरे प्रान्त का कृषक/मजदूर दो वर्ष से उ0प्र0 का स्थाई निवासी है, इसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा की गई है, तो यह इस योजना के अर्न्तगत संरक्षित मानी जायेगी।

3– इस योजना के अर्न्तगत जैसा कि दुर्घटना की परिभाषा से स्पष्ट है कि कृषि उपकरण खाद रसायन/बैलगाडी/टैक्टर/ट्राली का उपयोग केवल कृषि कार्य करने हेतु अथवा ढुलाई के समय सडक पर दुघर्टना हो जाने पर अथवा मजदूरों द्वारा पल्लेदारी अथवा बैल/गाय/इत्यादि द्वारा सींघ मारने से अथवा विषैले जन्तुओं के केवल कृषि कार्य करते समय खेत में काटने से यह सभी दुघर्टनाऐं वाहय हिंसक दृष्टिगत कारणों के द्वारा हुई समझी जायेगी, वह इस योजना के अर्न्तगत संरक्ति मानी जायेगी।

4– किसी भी दुघर्टना में किसी अंग के विच्छेदन होने की दशा में कम से कम निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक से अथवा किसी भी सरकारी अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। क्षतिग्रस्त अंग का रंगीन फोटोग्राफ एवं पूर्व विवरण सहित प्रार्थना पत्र प्रार्थी के

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

निकटतम 2 रिश्तेदारों के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। मृत्यु होने पर शव विच्छेदन होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है।

5— जानबूझकर शरीर को पहुचाई गई क्षति/चोट/आत्महत्या/नशें की हालत में हुई दुघर्टना किसी भी हिंसक कार्य में भाग लेने पर हुई शारीरिक क्षति अथवा मृत्यु या संवैधानिक / असामाजिक /उग्रवाद/आतंकवाद या दंगा फसाद अथवा बाढ/भूकम्प/युद्व/आणविक/रेडीयेशन (विकरण) आदि घटनाओं से अथवा शत्रुता द्वारा की गई मारपीट/झगडा अथवा कानूनी कार्यवाही हेतु किसी न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा विधि के अर्न्तगत दी गई सजा द्वारा मृत्यु अथवा शरीरिक क्षति इस योजना के अर्न्तगत संस्तुति नहीं है। सम्बन्धित क्षतिपूर्ति किसी भी दशा में नहीं की जा सकती है।

(क) दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने पर रू0 25000/—

(ख) दुर्घटना द्वारा दोनों द्वारा दोनों हाथ या दोनों आखे या उपरोक्त में से कोई दो की क्षति होने पर रू0 15000/—

(ग) दुर्घटना द्वारा एक हाथ एक पैर एक आंख क्षति होने पर रू0 7500/—

(घ) दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ चार अंगुलियों की क्षति होने पर रू0 7000/—

(ड.) दुर्घटना द्वारा एक हाथ की तीन अंगुलियों की क्षति होने पर रू0 5000/—

(च) अंगूठे की क्षति होने पर 4500/—

(ज) छोटी अंगुली की क्षति होने पर 750/—

क्षतिपूर्ति हेतु दावों की प्रमाणिकता एवं नियंत्रण

इस योजना के अर्न्तगत मण्डी समिति का दायित्व है कि स्वार्थी व्यक्ति/तत्व इस सुविधा का दुरूपयोग न कर पायें,अथवा समिति का सचिव सम्बन्धित भुक्तभोगी के विषय में अलग से जांच करके यह पुष्टि करेगें कि दावाकर्ता द्वारा उसकी शारीरिक अथवा मृतक के बालिक बच्चे/उत्तराधिकारी द्वारा क्षतिपूर्ति किया गया। आवेदन पत्र देय मापदण्डों/प्राविधानों के अनुसार प्रमाणित है। तथा हर प्रकार से सही है। दुघर्टना की सत्यता की जांच हेतु जिलाधिकारी अपने राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को गांव/मण्डी अथवा क्षेत्र में भेजगें,जिलाधिकारी को दावा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है,मण्डी समिति की छलकपट धोखा आदि की जानकारी किसी स्तर पर प्राप्त होती है, कि क्षतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु छलकपट तथा धोखा किया गया है, अथवा अन्य कारणों से कोई व्यक्ति बीमा सुविधा के अनुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त करने क योग्य नहीं था, तो उसको दी गई धनरशि सहित जिलाधिकारी द्वारा दोषी व्यक्तियों/लाभार्थियों से वसूल किया जायेगा।

दावा निष्पादन / निस्तारण हेतु प्रकिया

1— उपरोक्त स्वीकार की गई दुर्घटना के लिए प्रभावित कृषक / मजदूर द्वारा यथा सम्भव तुरन्त अथवा 15 दिनों के अन्दर दुर्घटना की सूचना क्षेत्र के मण्डी समिति के सचिव अथवा परगनाधिकारी को देनी होगी। मण्डी सचिव दुर्घटना की सूचना मिलने पर अधिकतम् 10 दिनों के अन्दर मण्डी सचिव अथवा मण्डी समिति कर्मचारी से द्वारा जॉच कराई जायेगी।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com